

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *354

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

सरकार पर बकाया ऋण

*354. डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार पर ऋण/उधार की राशि वर्ष-वार कितनी है;
- (ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया ऋण/उधार का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे ऋण/उधार की अदायगी और उन पर ब्याज की अदायगी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद द्वारा 'सरकार पर बकाया ऋण' के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 354 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): वर्ष के दौरान सरकार पर उधार/ऋण की राशि, जिसे सामान्यतः राजकोषीय घाटा कहा जाता है, और बकाया ऋण का स्टॉक तालिका-1 में दिया गया है। कोविड-19 के बाद, सरकार ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 61.4% से ऋण को 2025-26 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 56.1% तक समेकित किया है। इसके अलावा, सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार बनाए रखना है कि केंद्र सरकार का ऋण कम होता रहे और 31 मार्च, 2031 तक जीडीपी के लगभग 50±1 प्रतिशत के ऋण स्तर तक पहुँच जाए।

तालिका 1: केंद्र सरकार पर उधार/ऋण की राशि (लाख करोड़ ₹ में)

| वित्त वर्ष | वर्ष के दौरान उधार/ऋण की (राजकोषीय घाटा) | वित्त वर्ष के 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण | बकाया ऋण सकल घरेलू उत्पाद का % |
|--------------|--|--|--------------------------------|
| 2015-16 | 5.33 | 70.98 | 51.5% |
| 2016-17 | 5.36 | 74.94 | 48.7% |
| 2017-18 | 5.91 | 82.87 | 48.5% |
| 2018-19 | 6.49 | 93.26 | 49.3% |
| 2019-20 | 9.34 | 105.07 | 52.3% |
| 2020-21 | 18.18 | 121.86 | 61.4% |
| 2021-22 | 15.85 | 138.66 | 58.8% |
| 2022-23 | 17.38 | 156.13 | 58.1% |
| 2023-24 | 16.55 | 171.70 | 57.0% |
| 2024-25(पीए) | 15.77 | 185.94 | 56.0% |
| 2025-26(बीई) | 15.69 | 200.16 | 56.1% |

नोट: पीए से आशय अनंतिम वास्तविक है; बीई से आशय बजट अनुमान है

(ख) वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक बकाया उधार/ऋण अनंतिम रूप से ₹185.94 लाख करोड़ अनुमानित है। विवरण इस प्रकार है:

| | राशि (लाख करोड़ ₹ में) |
|---------------------------------------|------------------------|
| आंतरिक ऋण | 157.11 |
| बाह्य ऋण | 8.74 |
| अन्य देयताएँ (सार्वजनिक खाता देयताएँ) | 20.09 |
| कुल | 185.94 |

31 मार्च, 2025 तक विनिमय दर पर बाह्य ऋण

(ग): पिछले दस वर्षों और चालू वर्ष में ऐसे उधार/ऋण की चुकौती और ब्याज भुगतान तालिका 2 में दिए गए हैं।

तालिका 2: उधार/ऋण की चुकौती और ब्याज भुगतान (लाख करोड़ रुपये में)

| वित्त वर्ष | उधार/ऋण की चुकौती* | बकाया उधार/ऋण पर ब्याज** |
|--------------|--------------------|--------------------------|
| 2015-16 | 1.67 | 4.42 |
| 2016-17 | 2.01 | 4.81 |
| 2017-18 | 1.64 | 5.29 |
| 2018-19 | 1.79 | 5.83 |
| 2019-20 | 2.70 | 6.12 |
| 2020-21 | 2.62 | 6.80 |
| 2021-22 | 3.00 | 8.05 |
| 2022-23 | 3.53 | 9.29 |
| 2023-24 | 4.88 | 10.64 |
| 2024-25(पीए) | 4.16 | 11.16 |
| 2025-26(बीई) | 4.61 | 12.76 |

टिप्पणी: पीए से आशय अनंतिम वास्तविक हैं; बीई से आशय बजट अनुमान हैं।

*पुनर्भुगतान में बाज़ार ऋण और बाह्य ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है।

** पूर्व में लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान भी शामिल है।
